न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम्, दानापुर

(उपस्थितः– संतोष कुमार गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम्, दानापुर)

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1614 / 2026

(दानापुर थाना कांड संख्या– 99 / 2023)

1. राकेश चौधरी, पिता– स्व0 पचन चौधरी,
2. गीता देवी, पति– राकेश चौधरी,

दोनों निवासी– लखनीबिघा देवी स्थान, थाना– दानापुर, जिला– पटना।

..... आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री मनीष कुमार, (अधिवक्ता)

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री रामकेश्वर प्रसाद (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

———————————————————————————————————

आदेश

09.09.2026 दानापुर थाना कांड संख्या– 99 / 2023, जो भा0दं0वि0 की धारा 341, 323, 354, 354(B), 504, 506, 34 से संबंधित है, की अभियुक्तगण की ओर से इस काण्ड में उनकी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

काण्ड की सूचिका बिंदू कुमारी, के द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक सार रूप से इस प्रकार है कि दिनांक 21.01.2023 को शाम करीब 7–8 बजे अभियुक्त राकेश चौधरी अपनी पत्नी गीता देवी के साथ लाठी–डण्डा लेकर वादिनी के घर में घुसा और वादिनी की माँ सविता देवी को लाठी–डण्डे से मारने लगा। बचाव करने पर अभियुक्तों ने वादिनी एवं उसकी 14 वर्ष की नाबालिग बहन लक्ष्मी को भी मारा, गाली–गलौज की और कपड़े फाड़ दिए। अभियुक्तों ने माँ की छाती, कमर एवं पीठ पर ईट तथा डण्डे से प्रहार किया। बीच–बचाव करने आए मुकेश चौधरी को भी लाठी एवं पाईप से मारा तथा घर छोड़ने की धमकी दी। अतः प्राथमिकी दर्ज की गई।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस कांड के संदर्भ में इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठे आरोप के आधार पर फंसाया गया है। पारिवारिक विवाद के कारण पक्षकारों के बीच विवाद हुआ था, किन्तु अब सूचनाकर्ता एवं अभियुक्तगण के मध्य समझौता हो चुका है, तथा दोनों पारिवारिक रूप से भाई–बहन हैं। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख व LCR का अवलोकन किया। आवेदकगण पर यह आरोप है कि उसने सूचिका के परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट, गाली–गलौज और जान मारने की धमकी दी एवं सूचिका व उनकी बहन के साथ छेड़खानी की। कांड दैनिकी के कंडिका 2 में वादिनी एवं कंडिका 5, 7, 8 में साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कंडिका 37 में जख्मी का जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है। कंडिका 48 के अनुसार आवेदकगण पर BNSS की धारा 35(3) के

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम्, दानापुर

(उपस्थितः– संतोष कुमार गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम्, दानापुर)

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1614 / 2026

(दानापुर थाना कांड संख्या– 99 / 2023)

लगातार

09.09.2026 तहत बंधपत्र पर मुक्त किया है। कंडिका 53 के अनुसार आवेदकगण के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 341, 323, 354, 354(B), 504, 506, 34 के तहत कांड को सत्य पाया गया है। आवेदन के सुनवाई के दौरान सूचक न्यायालय में उपस्थित है और उन्होंने यह कहा है कि उभय पक्षों में सुलह हो जाने के कारण आवेदकगण को जमानत पर मुक्त करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है एवं वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।

अतः प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलतः अभियुक्त / आवेदकगण **1. राकेश चौधरी एवं 2. गीता देवी,** का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर, दस हजार के दो स्थानीय प्रतिभुओं से समर्थित बंध पत्र एवं दं0प्र0सं0 की धारा 438(2) में उपबन्धित शर्तों के अनुपालन के लिए वचनपत्र दिए जाने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय इस आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करे।

लेखापित

Sd/-

(संतोष कुमार गुप्ता)

अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्

व्यवहार न्यायालय दानापुर

(09.09.2026)